न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 17/2017/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

सुल्तान सिंह पुत्र डालाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कुमास जाटान, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)। प्रार्थी

बनाम

1. मामराज पुत्र रूपाराम
2. विमला देवी पत्नी मामराज
3. चावली पत्नी नोरंगलाल
4. सावित्री देवी पत्नी रूपाराम

समस्त जाति जाट, ग्राम कुमास जाटान, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

5. उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष कुल्हरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र मुंतकिली

निर्णय

दिनांक : ३० अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार होना अंकित किया है कि:–

(1) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व आवेदन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष उनवानी मामराज आदि बनाम चावली आदि पेश किया, जिसमें आवेदक मय अधिवक्ता हाजिर अदालत पेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर दिये बिना ही दिनांक 11.04.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.07.2017 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें आवेदक ने आपत्ति पेश करने एवं बहस हेतु दिनांक 24.10.2017 की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) अप्रार्थी संख्या 1 का वर्तमान में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के निवास स्थान व चेम्बर में आना जाना है और उन्होंने पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर ली है, इस बात जानकारी इस मुकदमे में 10–15 रोज की दी जा रही तारीख पेशियों से भी होती है।

(3) प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के चैम्बर में बैठे देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 गांव में खुलने आम कहता है कि मैंने पीठासीन अधिकारी से मिलकर मेरे पक्ष में प्रारंभिक डिक्री जारी करवाकर न्यायालय में पेश करवा दिया है, अब मैं पीठासीन अधिकारी से फाईनल डिक्री मेरे पक्ष में जारी करवा लूंगा। प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से मिला हुआ है तथा न्याय के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निर्णय करेगें।

(4) प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर के समक्ष दावा संख्या 231/2016 उनवानी मामराज बनाम चावली आदि व वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु, को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी 1 से 3 की ओर से वकील श्री सागर मल धायल तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का वर्तमान में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के निवास स्थान व चेम्बर में आना जाना है और उन्होंने पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर ली है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि दावा संख्या 231/2016 उनवानी मामराज बनाम चावली आदि व वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरित करने की आज्ञा फरमायी जाना न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

5. अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की सहमति से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की है। बंटवारा प्रस्ताव (जुलाई 2017) आये काफी समय हो चुका है, जिस पर प्रार्थी द्वारा कोई एतराज आज दिनांक तक पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने अनावश्यक रूप से प्रकरण को लम्बा चलाने की दुर्भावना से इस न्यायालय में प्रा. पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 का पीठासीन अधिकारी के यहां कोई आना जाना नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिस पर प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु 4–5 अवसर दिये गये है। प्रार्थी अब भी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र पेश करने का आधार नहीं है। अतः प्रा. पत्र मुन्तकिली खारिज फरमाया जाकर एवं पीठासीन अधिकारी को एक माह में प्रकरण निस्तारण हेतु निर्देशित किया जावे।

6. वकील अप्राथीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि वर्णित प्रकरण में प्रार्थी की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु समुचित अवसर दिये गये है। प्रार्थी अब भी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रा. पत्र मुन्तकिली खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण अन्यत्र किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित हो तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया हो। प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रार्थी द्वारा जारी शंका आधारहीन, बेबुनियाद एवं तथ्यों से परे प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

9. निर्णय आज दिनांकः **30 अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner